परिशिष्ट 'छः' [1/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 483]

विधान सभा – 483

परिशिष्ट – 1

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

धारा 5. (1) जहां किसी विद्यालय में,प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहां किसी बालक को, अन्य विद्यालय में धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे बालक को धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(3) ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यांलय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, जहां ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब करने या प्रवेश से इंकार करने के लिए आधार नहीं होगा :

परंतु यह और कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब करने वाले विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कारवाई के लिए दायी होगा/होगी।

1/2/17

(रमाकांत तिवारी)
सहा.प्रबंधक एवं समन्वयक (आर.टी.ई.)
राज्य शिक्षा केन्द्र

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा-2